

मा0 मुख्यमन्त्री, उत्तराखण्ड सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 25.07.2024 को
सी0एम0 हैल्पलाईन 1905 की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

बैठक की उपस्थिति

उपस्थिति पत्र (संलग्न)

बैठक में निदेशक, आई0टी0डी0ए0 द्वारा निम्नानुसार प्रस्तुतीकरण दिया गया—

- जनपद देहरादून के समस्त राजस्व अभिलेखों को डिजिटाइज रूप में संरक्षित किये जाने के उद्देश्य से 'ई-अभिलेखागार' नाम से नये पोर्टल का शुभारम्भ मा0 मुख्यमन्त्री जी द्वारा किया गया। पोर्टल में राजस्व ग्राम एवं तहसील का नाम चयन करने से वांछित अभिलेख यथा- खतौनी, राजस्व न्यायालयों की वाद सम्बन्धी पत्रावली इत्यादि ऑनलाईन प्राप्त की जा सकेगी।
- पूर्व बैठक दिनांक 11.03.2024 में दिये गए निर्देशों के अनुपालन में की गयी कार्यवाही से मा0 मुख्यमन्त्री जी एवं समस्त उपस्थित अधिकारीगण को अवगत कराया गया।
- दिनांक 11.03.2024 से वर्तमान बैठक दिनांक 27.06.2024 तक एल-01 से एल-04 स्तर तक लम्बित शिकायतों के प्रतिशत, संतोषजनक रूप से शिकायतों को निस्तारित किये जाने की प्रतिशत, एल-01 स्तर से एल-04 स्तर तक शिकायतकर्ताओं से किये गये संवाद, शिकायतों की प्रकृति, विभागवार शिकायतों के निस्तारण की तुलनात्मक स्थिति, समीक्षा बैठकों के कार्यवृत्त अपलोड किये जाने आदि की स्थिति का विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया।

उपरोक्त प्रस्तुतीकरण के दौरान व तत्पश्चात् किये गये विमर्श के आधार पर मा0 मुख्यमन्त्री जी द्वारा शिकायतों/सन्दर्भों के निस्तारण के सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिये गए:—

- सी0एम0 हैल्पलाईन पोर्टल 1905 पर **Daily basis** पर प्रत्येक स्तर (एल-1 से एल-4तक) पर **Log-in** किया जाय। 180 दिन से अधिक अवधि से लम्बित शिकायतों का सचिव व विभागाध्यक्ष निस्तारण करवायें एवं जो शिकायतें सुझाव/मांग आधारित हो, उनका **Review** कर यथोचित कार्यवाही कर ली जाये।

(कार्यवाही अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, समस्त

विभागाध्यक्ष समस्त जिलाधिकारी)

2. नियोजन विभाग द्वारा समस्त जनपदों में प्रभारी सचिवगण नियुक्त किये गये हैं। प्रभारी सचिव जनपदों में भ्रमण के लिए जाय, उन जनपदों से प्राप्त फीडबैक, समस्याओं व अन्य किये गये कार्यों आदि का डॉटा भी इस पोर्टल में प्रदर्शित किया जाय।

(कार्यवाही सचिव, नियोजन विभाग, समस्त सचिवगण एवं निदेशक, आई0टी0डी0ए0)

3. तहसील दिवस (तहसील स्तर), जन सुनवाई दिवस (जिलाधिकारी स्तर) में प्राप्त शिकायतों को ऑनलाईन पोर्टल में दर्ज किया जाय एवं समस्त जनपदों में यह कार्यक्रम नियमित हो। यह भी सुनिश्चित किया जाय, जन समर्पण, तहसील दिवस की बैठकों, जन शिकायतों के निस्तारण के सम्बन्ध में विभागाध्यक्षों एवं विभागीय सचिवगण के स्तर पर माह में कम से कम दो बार समीक्षा हो एवं सम्पन्न बैठकों का कार्यवृत्त सी0एम0 हैल्पलाईन पोर्टल 1905 पर **Upload** कराया जाय।

कार्यवाही अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, समस्त विभागाध्यक्ष समस्त जिलाधिकारी)

4. पोर्टल की शिकायतों के निस्तारण हेतु निर्धारित समस्त पैरामीटरों में एल-1 से एल-4 स्तर तक प्रत्येक अधिकारीगण का न्यूनतम 75% का लक्ष्य निर्धारित रखें। साथ ही प्रत्येक विभाग में किन क्षेत्रों में किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हैं, उनका विश्लेषण करके डेटा आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

(कार्यवाही अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त जिलाधिकारी/निदेशक, आई0टी0डी0ए0)

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा शिकायतकर्ताओं से की गयी वार्ता के दौरान प्रदत्त निर्देश:-

1. श्री अरुण कुमार, सेवानिवृत्त कर्मचारी, विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा उनकी पेंशन आदि भुगतान से सम्बन्धित शिकायत दिनांक 24.02.204 से पोर्टल पर लम्बित स्थिति में है।

अतः मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा शिकायत की जांच कर कार्यवाही किये जाने एवं शिकायत का तत्काल निस्तारण किये जाने हेतु विद्यालयी शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया। उक्त के अतिरिक्त बैठक के दौरान विभागों में तहसील स्तर एवं ब्लॉक स्तर पर डी0डी0ओ0 के पास **digital signature** हेतु इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की समस्या

का निराकरण किये जाने के निर्देश दिए गये। समस्त विभागों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन सम्बन्धित प्रकरण ससमय निस्तारण हेतु वित्त विभाग से बैठक कर ऑनलाईन पोर्टल का निर्माण पर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए गये।

(कार्यवाही अपर मुख्य सचिव/सचिव, वित्त विभाग, निदेशक आई0टी0डी0ए0)

2. श्री राजेश अग्रवाल, खटीमा द्वारा बिजली का बिल अधिक होने एवं ब्याज लगाकर भेजने के सम्बन्ध में शिकायत की गयी, जिसके निस्तारण हेतु सम्बन्धित विभाग को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही सचिव, ऊर्जा विभाग)

3. श्री मनमोहन, बागेश्वर द्वारा अवगत कराया गया कि उनके घर के समीप पेड़ झुकने से मकान को नुकसान की संभावना है।

अतः इस सम्बन्ध में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा स्थल पर उपस्थित तहसीलदार से भी वार्ता की गयी। तहसीलदार द्वारा बताया गया कि उक्त पेड़ के ऊपर बिजली के तार गुजरने के कारण बिजली विभाग से भी समन्वय किया गया। सम्बन्धित अधिकारियों को आपसी समन्वय कर शिकायत के तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए गये। उक्त के अतिरिक्त मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि ऐसे सभी स्थानों पर जहां पेड़ों पर बिजली के तार लगे हैं एवं दुर्घटना होने की आशंका है, ऐसे स्थानों से शीघ्र ही पेड़ों से बिजली के तारों को हटाने के लिए यथोचित कार्यवाही कर ली जाय।

(कार्यवाही सचिव, ऊर्जा विभाग एवं समस्त जिलाधिकारी)

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदत्त अन्य निर्देश:-

1. ऐसी सी0एम0 घोषणायें जो अत्यधिक पुरानी हैं और कोई कार्यवाही किया जाना समीचीन नहीं है, के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा उनका Review कर लिया जाय।

(कार्यवाही सचिव, मुख्यमंत्री घोषणा कार्यालय)

2. No meeting day only public meeting day हेतु पूर्व से निर्धारित सोमवार के दिन अथवा इसके अतिरिक्त किसी अन्य दिन को निर्धारित किये जाने पर पुनः विचार किये जाने एवं इसका अनुपालन किये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन)

3. राज्य के किसी भी जनपद से समाचार पत्र अथवा अन्य किसी भी माध्यम से प्रकाशित होने वाले नकारात्मक समाचार का तुरन्त संज्ञान लेकर अगले दिन ही समाचार पत्र अथवा अन्य माध्यम से राज्य सरकार का पक्ष रखा जाय। उक्त के अतिरिक्त समस्त जिलाधिकारी, विभागाध्यक्ष एवं विभागीय सचिवगण से किसी भी विषय पर समाचार प्रकाशन से पूर्व राज्य सरकार/विभाग का पक्ष भी प्राप्त किये जाने हेतु मीडियाकर्मियों से सम्वाद किये जाने के निर्देश दिए गये।
(कार्यवाही अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, समस्त विभागाध्यक्ष समस्त जिलाधिकारी)

4. मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा बैठक के दौरान समस्त प्रमुख सचिव/सचिवगण से अपेक्षा की गयी कि कार्यालय आने-जाने अथवा मुख्यालय से इतर जाने पर मार्ग में स्थित अपने विभागीय कार्यालयों का भी समय-समय पर निरीक्षण अवश्य करें।

(कार्यवाही समस्त प्रमुख सचिव/सचिवगण)

अन्त में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा उपरोक्त निर्देशों पर शीघ्र कार्यवाही करते हुए सरकार की जनसामान्य तक पहुंच सुलभ कराये जाने की अपेक्षा के साथ धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

(शैलेश बगौली)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-1
देहरादून

संख्या—CM1-LETR/VIP/1/2022-XXXV-1-GOUK, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन को अनुपालन के अनुरोध के साथ प्रेषित।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदया के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. निजी सचिव, सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. निजी सचिव, विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को विशेष सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।

6. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड को अनुपालनार्थ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड को अनुपालनार्थ।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को अनुपालनार्थ।
9. निदेशक, आईटीडीए, उत्तराखण्ड को अनुपालनार्थ।
10. अनुभाग अधिकारी, मुख्यमन्त्री कार्यालय 02 एवं 05 उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ।
11. गॉर्ड फाइल।

(देवेन्द्र सिंह चौहान)
उप सचिव।